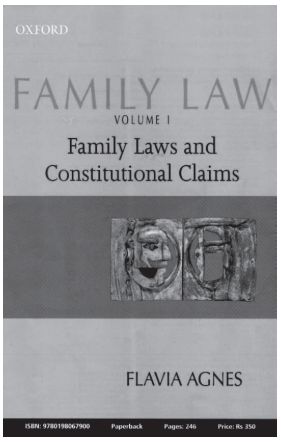

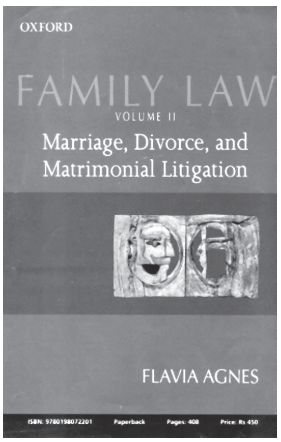

पुस्तक परिचय

भाग-1 **फ़ैमिली लॉज़ एण्ड कॉन्सटीट्यूशनल क्लेमूज़**
भाग-2 **मैरिज, डाईवोर्स एण्ड मैट्रीमोनियल लिटिगेशन**
लेखकः **फ्लेविया एगनिस**
प्रकाशकः **ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2011**
पृष्ठ/मूल्यः **भाग-1-600/350/-, भाग-2-508/450/-**

इन दोनों पुस्तकों का प्रमुख विषय है वैवाहिक न्यायशास्त्र जिसका विश्लेषण करते हुए लेखिका ने पारिवारिक कानून और महिलाओं के अधिकारों की समीक्षा की है। पुस्तकों में इन अधिकारों की दो स्तरों पर चर्चा की गई है। भाग एक में, भारत में विभिन्न पारिवारिक कानूनों के संदर्भ में औरतों के हक़ों की बात की गई है। भाग दो में, विवाह तथा उसे जुड़े विरोधाभासों का विश्लेषण किया गया है।

हमारे परिवार और समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव और असमानताओं को सम्बोधित करते हुए ये पुस्तकें एक निष्पक्ष तरीके से परिवार व समाज से संबंधित कानूनों की बात करती हैं। लेखिका ने इन दोनों भागों में कानूनी मान्यताओं, औरतों के जीवन की सच्चाइयों और कानून की धारणाओं की समीक्षा की है जो महिलाओं को उनके हक़ हासिल करने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इसके साथ ही कानूनी सिद्धान्तों व नियमों, कानूनी रणनीतियों, अंतरिम आदेशों और आपसी बातचीत के महत्व पर भी इन पुस्तकों में विस्तार से चर्चा की गई है।

पुस्तक के पहले भाग, जो पारिवारिक कानून और संवैधानिक अधिकारों के विषय पर है में मुख्यतः तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी व यहूदियों के व्यक्तिगत कानूनों की उपनिवेशी व उपनिवेशवाद के बाद के समय में उत्पत्ति पर केंद्रित है। दूसरा हिस्सा इन कानूनों के विवाह, तलाक़, विरासत और उत्तराधिकार के समकालीन प्रश्नों पर कार्यान्वयन से जुड़ा है। तीसरे और अंतिम भाग में लेखिका ने इस विषय को उठाया है कि क्या औपचारिक और सूत्रबद्ध कानूनों और नए बदलावों तथा परिवर्तनशील सामुदायिक व्यवहारों और अनेकत्व के बीच तालमेल स्थापित किया जा सकता है।

इस भाग में न्यायपालिका की भूमिका, समान नागरिक कानून पर बहसों और अकादमिक चर्चाओं तथा स्तरित और सीढ़ीबद्ध सामाजिक परिवेश में महिलाओं के नागरिकता के दावों पर भी गौर किया गया है।

भाग दो- विवाह, तलाक़ और वैवाहिक मुकदमों पर केंद्रित है। इस भाग में भी तीन मुख्य विषयों की समीक्षा की गई है। सबसे पहले विवाह की वैधता तथा तलाक़ से संबंधित कार्रवाइयां, बाल विवाह, विदेश में रहने वालों के बीच शादी तथा विवाह पंजीकरण के कानूनी पहलुओं पर समझ बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त गुज़ारा भत्ता, रिहाइशी हक़ तथा बच्चों के संरक्षण और हिरासत के मुद्दों की कानूनी रूपरेखा को भी इस भाग में विस्तृत रूप से उठाया गया है। पुस्तक के अन्त में इस बात पर चर्चा की गई है कि वैवाहिक कानून की कार्यवाही व पारिवारिक न्यायालयों के बढ़ते अधिकारों को देखते हुए क्या लैंगिक न्याय के सरोकारों को सम्बोधित किया जा रहा है।

इन दोनों पुस्तकों के अकादमिक नज़रिए को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह कानूनी व्यावसायिकों, वकीलों, न्यायाधीशों, कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को महिला अधिकारों की समझ बनाने में मददगार रहेगी। यह राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र व जेंडर अध्ययन करने वालों के लिए भी उपयोगी पठन सामग्री हो सकती है।

जुही जैन *नारीवादी कार्यकर्ता व लेखिका हैं।*